

## order Sheet [Contd]

प्र0क0 105/16सत्रवाद

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
7-3-17	<p>आरोपीगण उदयसिंह, भारतसिंह, वीरसिंह सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।</p> <p>श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 1155/2016 आदेश दिनांक 15-2-17 की सत्य प्रतिलिपि मय शपथपत्र के पेश की । इसके अतिरिक्त एक आवेदनपत्र इस आशय का पेश किया कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त रिवीजन आदेश के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को वापिस किया जाये ।</p> <p>उपरोक्त आवेदनपत्र की प्रति अभियोजन को प्रदान की गयी</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त आवेदनपत्र के संबंध में विचार किया गया । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा पारित क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 1155/2016 में पारित आदेश दिनांक 15-2-17 को देखा गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया ।</p> <p>आरोपीगण उदयसिंह, भारतसिंह एवं वीरसिंह के विरुद्ध इस न्यायालय के द्वारा धारा 147,148,452 भा0द0वि0 एवं 307 विकल्प 307/149 भा0द0वि0 का आरोप विरचित किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा रिवीजन क्रमांक 1155/2016 में उपरोक्त आरोपीगण की ओर से आरोप के संबंध में किये गये रिवीजन आदेश में आरोपीगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा 307 विकल्प में 307/149 के स्थान पर धारा 324,324/149 ,323 विकल्प में 323/149 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप प्रथम दृष्टया बनना अभिनिर्धारित करते हुये रिवीजन स्वीकार की गयी है ।</p> <p>इस प्रकार आरोपीगण के विरुद्ध वर्तमान में धारा 307 विकल्प में 307/149 का आरोप माननीय न्यायालय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है एवं उसके स्थान पर पूर्व में लगाये गये आरोप धारा</p>	

147,148,452 भा0द0वि0 एवं परिवर्तित आरोप 324,324/149, 323,323/149 भा0द0सं0 शेष रह जाती है जो कि उक्त धाराओं के अन्तर्गत लगाया गया आरोप इस न्यायालय के विचारण क्षेत्राधिकार में न होकर उसकी प्रकृति मजिस्ट्रेट ट्रायल की हो जाती है ।

ऐसी दशा में जबकि वर्तमान प्रकरण का विचारण सत्र वाद के रूप में न होकर उसका विचारण मजिस्ट्रेट ट्रायल के रूप में होना अपेक्षित है । ऐसी दशा में प्रकरण समुचित न्यायालय में विचारण हेतु भेजे जाने वाबत् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजा जाये ।

प्रकरण में इस न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत दिनांक 8-3-17 की तिथि निरस्त की जाती है ।

आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत तिथि को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड के समक्ष उपस्थित रहें ।

प्रकरण आरोपीगण की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड के समक्ष उपस्थिति हेतु दिनांक 21-3-17 को पेश हो ।

ए0एस0जे0गोहद